UPPG160046512022

EXECUTION/2/2022

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कुण्डा, प्रतापगढ़।

इजराय वाद संख्या–०२/२०२२

महमूल आलम बनाम शहाना बानो।

दिनांक १०.१२.२०२४

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष (डिक्रीदार एवं निर्णीतऋणी) मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर कहाा गया कि निष्पादन की संतुष्टि हो चुकी है। मुकदमे की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा की जावे।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्षों द्वारा न्यायालय में अपना बयान अंकित कराया गया है। डिक्रीदार महमूद आलम ने अपने बयान में कहा है कि, *'मुझ डिक्रीदार को बयनामाकृत भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। मेरे द्वारा चार लाख पचास हजार रूपये न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में जमा किया गया था निर्णीतऋणी को जमा पैसा दे दिया जाय मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निष्पादन की संतुष्टि हो चुकी है। कार्यवाही समाप्त कर दिया जावे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।'*

निर्णीतऋणी शहाना बानो ने अपने बयान में कहा है कि, ' मैं चार लाख पचास हजार रूपये न्यायालय से प्राप्त कर लिया है। बयनामाशुदा सम्पत्ति मैंने डिक्रीदार को कब्जा स्थानांतरित कर दिया है।'

मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं डिक्रीदार व निर्णीतऋणी के उक्त बयानों के दृष्टिगत हस्तगत इजराय वाद की कार्यवाही डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

हस्तगत इजराय वाद की कार्यवाही डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि में समाप्त जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनुपम दुबे)
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कुण्डा, प्रतापगढ़।

हृदय नारायण सिंह/–स्टेनो

Digitally signed by ANUPAM DUBE
Date: 2024.12.12 10:15:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court